

झारखण्ड सरकार,

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक०),

झारखण्ड, डोरण्डा, राँची।

राँची, दिनांक- / / 2024 ई०।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

विषय :- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वाद सं०-737/34/20/2019-JCD में निहित अनुशंसा के आलोक में मृतक बंदी मो० तबरेज अन्सारी की आश्रित पत्नी सहिस्ता परवीन, ग्राम-खरसावाँ, बेहरासाई, पोस्ट+थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को कुल रू० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

- रू० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट शीर्ष-“2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम -05- दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत -06- अनुदान -49- आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-22S22356020005000649 के अंतर्गत उपबंधित राशि से की जाएगी।
- उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, सरायकेला-खरसावाँ से की जाएगी।
- राशि का एक मुश्त चेक/ड्राफ्ट द्वारा मृतक बंदी मो० तबरेज अन्सारी की आश्रित पत्नी सहिस्ता परवीन, ग्राम-खरसावाँ, बेहरासाई, पोस्ट+थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को कुल रू० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र आर्थिक अनुदान राशि भुगतान की स्वीकृति।
- राशि का न तो पुनर्भुगतान किया जाएगा और न ही विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय किया जायेगा।
- प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
अनुरोध है कि उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अशोक कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17 / NHRC-(न्या०हि०)-02 / 2021-..... /

राँची, दिनांक- / / 2024 ई०।

प्रतिलिपि- उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ से अनुरोध है कि मृतक बंदी मो० तबरेज अन्सारी की आश्रित पत्नी सहिस्ता परवीन, ग्राम-खरसावाँ, बेहरासाई, पोस्ट+थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ का नाम आदि सत्यापित/सम्पुष्टी उपरान्त रू० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र राशि का भुगतान अपने निदेशन एवं आवश्यक जांचोपरान्त करते हुए पावती रसीद यथाशीघ्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/NHRC-(न्या०हि०)-02/2021-...../ राँची, दिनांक- / /2024 ई०।
प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-04, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि राशि का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/NHRC-(न्या०हि०)-02/2021-...../ राँची, दिनांक- / /2024 ई०।
प्रतिलिपि- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/NHRC-(न्या०हि०)-02/2021-.....⁴⁸⁴ / राँची, दिनांक-31/01/2024 ई०।
प्रतिलिपि- Shri Inrajeet kumar, Deputy Registrar (Law), National Human Right Commission, Manav Adhikar Bhawan, C BLOCK, GPO Complex, I.N.A. New Delhi- 110023/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Manav
31/1/24

सरकार के अवर सचिव।

ck